फर्द अहकाम

किशनलाल यादव बनाम अखिलेश कुमार गुर्जर

त्र संख्याः 186/2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.07.2024	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश हुई। उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी/वादी द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है, परन्तु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, अप्रार्थी/वादी का उक्त वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है, ना ही अप्रार्थी/वादी उक्त वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसी दशा में अप्रार्थी/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11(डी) जा0दी0 के तहत खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी/वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण का विक्रय प्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2022 को सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल कर राशि प्राप्त कर तस्दीक करवाई गई, इस प्रकार अप्रार्थी/वादी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर देने से धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थी/वादी के हित व अधिकार वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में समाप्त हो गये है अब उनका कोई हक व हिस्सा निहित नही है, ऐसी दशा में अप्रार्थी/वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित (बॉर्ड बाई लॉ) की श्रेणी में आता है और आदेश 7 नियम 11(डी) जा0दी0 के तहत खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी/वादी ने अपने वाद पत्र में यह कथन अंकित किया गया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी का विक्रय पत्र में प्रतिफल राशि 9,70,000/– रूपये बाबत् एक चैक नम्बर 000086 दिनांकित 15.06.2022 दिया गया जो अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी शाखा में प्रस्तुत करने पर दिनांक 12.07.2022 को अप्रार्थी/वादी को अनादरित कर वापस लौटा दिया, इस प्रकार अप्रार्थी/वादी का प्रतिफल की राशि प्राप्त नही होने से मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिफल की राशि प्राप्त न होने से उक्त वाद के माध्यम से अप्रार्थी/वादी किसी प्रकार [illegible] इस न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी [illegible] है, [illegible] की इस न्यायालय से अप्रार्थी/वादी को किसी प्रकार [illegible] सकता है, ऐसी दशा में इस न्यायालय को [illegible] धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुनने का क्षेत्राधिकार नही है, इस कारण वादी का वाद [illegible]धिकार में	

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:51:53 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

किशनलाल यादव बनाम अखिलेश कुमार गुर्जर

वाद पत्र संख्याः 186/2022

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से

नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बॉर्ड बाई लॉ होने से आदेश 7 नियम 11(डी) जा0दी0 के तहत खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी/वादी की ओर से अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी वाद पत्र मे आज दिनाक तक वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है जिसका अद्यतन जमाबन्दी में उल्लेखन है। वादी/अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार के साथ उक्त भूमि में उपयोग उपभोग व काबिज है। वादी/अप्रार्थी का दावा इसी बात का है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने विश्वास के रूप में धोखा कर वादी से रजिस्ट्री करवाई है जो कि प्रतिफल के रूप में देय राशि का चैक अनादरित होने से विक्रय संव्यवहार ही पूर्ण नही हुआ है। जो धारा 54 संपति अन्तरण अधिनियम 1882 के अनुसार विक्रय की परिभाषा में नही आता है। ऐसे में उक्त विक्रय पत्र कोई विधिक महत्व नही है। उक्त विक्रय पत्र धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तारीफ में कवर ही नही होता है। प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयं की संस्वीकृति है कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने जो चैक विक्रय प्रतिफल के रूप में दिया था वह अनादरित हो गया है। मिन वादी/अप्रार्थी का उक्त वाद पत्र में इसका विस्तृत विवरण है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा बदनियति पूर्वक उक्त संव्यवहार करना उसकी बेईमानी को दर्शाता है। यहां यह भी कहना समीचीन होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि वादी ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 30/987 रकबा 0.12 हैक्टेयर वाके ग्राम दयालपुरा, तहसील सांगानेर में स्थित के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 30/987 रकबा 0.12 हैक्टेयर में से 23/24 भाग को प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2022 के माध्यम से बैचान कर दिया गया है। उक्त विक्रय पत्र में प्रतिफल की राशि 9,70,000/- रूपये का चैक संख्या 000086 दिनांक 15.06.2022 का वादी को दिया गया जो अनादरित हो गया। वादी को वादग्रस्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

किशनलाल यादव बनाम अखिलेश कुमार गुर्जर

वाद पत्र संख्याः 186/2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

के प्रतिफल की राशि प्राप्त नही होने से मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी को वादग्रस्त भूमि के विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त नही होने से उक्त वाद में यह न्यायालय वादी को कोई अनुतोष प्रदान नही कर सकता है, राजस्व न्यायालयों को कृषि भूमि के सम्बन्ध में धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान है, परन्तु वादी का वाद धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही आता है, इस प्रकार के वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालयों को ही है। वादी द्वारा विक्रय पत्र की छायाप्रतिलिपि पेश की है जिसमें वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का आंशिक कब्जा प्रतिवादी को मौके पर संभलाया जाना स्वीकार किया है। उक्त विक्रय पत्र वादी एवं प्रतिवादी की सहमति से गवाहान की उपस्थिति में में उप पंजीयक कार्यालय में तस्दीक किया है जिसमें किसी प्रकार का संदेह किया जाना संभव नही है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से अपना हक व अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये विक्रय पत्र हस्तान्तरित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हक व अधिकार निहित नही रह जाता है, इसलिए वादी का वाद विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बाबत् ग्राम दयालपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 30/987 रकबा 0.12 हैक्टेयर के सम्बन्ध में खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:51:53 IST
Reason: SelfAttested